



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23092022-239014
CG-DL-E-23092022-239014

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4233]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 21, 2022/भाद्र 30, 1944

No. 4233]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 21, 2022/BHADRA 30, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2022

का.आ. 4417(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.2762(अ) तारीख , जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के कोल्हापूर जिले में NH-166 के कि.मी. 0.000 से कि.मी.137.285 (रत्नागिरी कोल्हापूर सेक्शन) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "13.07.2022 " को "दैनिक पुण्यनगरी" मराठी और "दैनिक फ्री प्रेस जर्नल " अंग्रेजी दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के कोल्हापूर जिले में NH-166 के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 137.285 (रत्नागिरी - कोल्हापूर सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र जिले का नाम: कोल्हापूर					
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: शाहुवाडी				
	गांव का नाम: वारूळ				
1	556	निजी	कृषिक	0.27	किशोर अमरलाल नोतानी, सुमंत हौसाराम घोडके, संतोष अमरलाल नोतानी ()
2	557	निजी	कृषिक	0.1	किशोर अमरलाल नोतानी, सुमंत हौसाराम घोडके, संतोष अमरलाल नोतानी ()
3	558	निजी	कृषिक	0.11	किशोर अमरलाल नोतानी, सुमंत हौसाराम घोडके, संतोष अमरलाल नोतानी ()
4	559	निजी	कृषिक	0.08	किशोर अमरलाल नोतानी, सुमंत हौसाराम घोडके, संतोष अमरलाल नोतानी ()
5	560	निजी	कृषिक	0.12	किशोर अमरलाल नोतानी, सुमंत हौसाराम घोडके, संतोष अमरलाल नोतानी ()
6	561	निजी	कृषिक	0.258	किशोर अमरलाल नोतानी, सुमंत

					हौसाराम घोडके, संतोष अमरलाल नोतानी ()
7	562	निजी	कृषिक	0.101	किशोर अमरलाल नोतानी, सुमंत हौसाराम घोडके, संतोष अमरलाल नोतानी ()
8	563	निजी	कृषिक	0.0505	संतोष अमरलाल नोतानी ()
9	564	निजी	कृषिक	0.1344	किशोर अमरलाल नोतानी, सुमंत हौसाराम घोडके, संतोष अमरलाल नोतानी ()
10	565	निजी	कृषिक	0.1417	किशोर अमरलाल नोतानी, सुमंत हौसाराम घोडके, संतोष अमरलाल नोतानी ()
11	566	निजी	कृषिक	0.4673	हलिमा इब्राहिम देवळेकर, अब्दुल हमीद इब्राहिम देवळेकर, महंमद हनीफ इब्राहिम देवळेकर, अब्दुल अजीज इब्राहिम देवळेकर, इतर हक्क - किशोर अमरलाल नोतानी, सुमंत हौसाराम घोडाके, संतोष अमरलाल नोतानी ()
12	567	निजी	कृषिक	0.1172	किशोर अमरलाल नोतानी, सुमंत हौसाराम घोडके, संतोष अमरलाल नोतानी ()
13	568 Part	निजी	कृषिक	0.48	किशोर अमरलाल नोतानी, सुमंत हौसाराम घोडाके, संतोष अमरलाल नोतानी, सिराज आदम शेख, ताजशेरीफ आदम शेख ()
14	569	निजी	कृषिक	0.142	सोनाबाई बाबाजी पाटील, रामचंद्र धोंडी

					पाटील, बळीराम रामचंद्र पाटील, राजाराम रामचंद्र पाटील, बाळकृष्ण रामचंद्र पाटील, इतर हक्क- किशोर अमरलाल नोतानी, सुमंत हौसाराम घोडके, संतोष अमरलाल नोतानी ()
15	570	निजी	कृषिक	0.0492	किशोर अमरलाल नोतानी, सुमंत हौसाराम घोडके, संतोष अमरलाल नोतानी ()
16	571	निजी	कृषिक	0.0316	जितेंद्र भैरणा पाटील इतर हक्क- किशोर अमरलाल नोतानी, सुमंत हौसाराम घोडके, संतोष अमरलाल नोतानी ()
17	573	निजी	कृषिक	0.01	किशोर अमरलाल नोतानी, सुमंत हौसाराम घोडके, संतोष अमरलाल नोतानी ()
18	574	निजी	कृषिक	0.091	किशोर अमरलाल नोतानी, सुमंत हौसाराम घोडके, संतोष अमरलाल नोतानी ()
19	575	निजी	कृषिक	0.071	किशोर अमरलाल नोतानी, सुमंत हौसाराम घोडके, संतोष अमरलाल नोतानी ()
20	576	निजी	कृषिक	0.17	किशोर अमरलाल नोतानी, सुमंत हौसाराम घोडके, संतोष अमरलाल नोतानी ()
			कुल	2.9949	

[फा. सं. NHA/PIU/SLP/LA/16/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st September, 2022

S.O. 4417(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, SO No 2762(E) dtd 16.06.2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH-166 on the stretch of land from Km. 0.000 to Km. 137.285 (Ratnagiri-Kolhapur section) in the district of KOLHAPUR in the state of MAHARASHTRA;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Daily Punynagari” Marathi and “Daily Free Press Journal” English both dated 13.07.2022; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 0.000 to Km. 137.285 (Ratnagiri-Kolhapur Section) of NH-166 in the district of KOLHAPUR in the state of MAHARASHTRA.

State: MAHARASHTRA			District: KOLHAPUR		
Sl. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Shahuwadi				
	Village: Warul				
1	556	Private	Agriculture	0.27	Kishor Amarlal Notani, Sumant Housaram Ghodake, Santosh Amarlal Notani
2	557	Private	Agriculture	0.1	Kishor Amarlal Notani, Sumant Housaram Ghodake, Santosh Amarlal Notani
3	558	Private	Agriculture	0.11	Kishor Amarlal Notani, Sumant Housaram Ghodake, Santosh Amarlal Notani
4	559	Private	Agriculture	0.08	Kishor Amarlal Notani, Sumant Housaram Ghodake, Santosh Amarlal Notani
5	560	Private	Agriculture	0.12	Kishor Amarlal Notani, Sumant Housaram Ghodake, Santosh Amarlal Notani
6	561	Private	Agriculture	0.258	Kishor Amarlal Notani, Sumant Housaram Ghodake, Santosh Amarlal Notani
7	562	Private	Agriculture	0.101	Kishor Amarlal Notani, Sumant Housaram Ghodake, Santosh Amarlal

					Notani
8	563	Private	Agriculture	0.0505	Santosh Amarlal Notani
9	564	Private	Agriculture	0.1344	Kishor Amarlal Notani, Sumant Housaram Ghodake, Santosh Amarlal Notani
10	565	Private	Agriculture	0.1417	Kishor Amarlal Notani, Sumant Housaram Ghodake, Santosh Amarlal Notani
11	566	Private	Agriculture	0.4673	Halima Ibrahim Devalekar, Abdul Hamid Ibrahim Devalekar, Mahammad Hanif Ibrahim Devalekar, Abdul Ajij Ibrahim Devalekar, Other Rights - Kishor Amarlal Notani, Sumant Housaram Ghodake, Santosh Amarlal Notani
12	567	Private	Agriculture	0.1172	Kishor Amarlal Notani, Sumant Housaram Ghodake, Santosh Amarlal Notani
13	568 Part	Private	Agriculture	0.48	Kishor Amarlal Notani, Sumant Housaram Ghodake, Santosh Amarlal Notani, Siraj Adam Shaikh, Tajsharif Adam Shaikh
14	569	Private	Agriculture	0.142	Sonabai Babaji Patil, Ramchandra Dhondi Patil, Baliram Ramchandra Patil, Rajaram Ramchandra Patil, Balkrushn Ramchandra Patil, Other Rights - Kishor Amarlal Notani, Sumant Housaram Ghodake, Santosh Amarlal Notani
15	570	Private	Agriculture	0.0492	Kishor Amarlal Notani, Sumant Housaram Ghodake, Santosh Amarlal Notani
16	571	Private	Agriculture	0.0316	Jitendra Bhairanna Patil, Other Rights - Kishor Amarlal Notani, Sumant Housaram Ghodake, Santosh Amarlal Notani
17	573	Private	Agriculture	0.01	Kishor Amarlal Notani, Sumant Housaram Ghodake, Santosh Amarlal Notani
18	574	Private	Agriculture	0.091	Kishor Amarlal Notani, Sumant Housaram Ghodake, Santosh Amarlal Notani
19	575	Private	Agriculture	0.071	Kishor Amarlal Notani, Sumant Housaram Ghodake, Santosh Amarlal Notani
20	576	Private	Agriculture	0.17	Kishor Amarlal Notani, Sumant Housaram Ghodake, Santosh Amarlal Notani
			TOTAL	2.9949	

[F. No. NHAI/PIU/SLP/LA/16/3D]

RAJESH GUPTA, Director